न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

...अधिकारी रणजीत कुमार आर.ए.एस.

...न :- प्रार्थना पत्र संख्या 39/2022

आतराम पुत्र श्री जीवनराम जाति कुम्हार निवासी चक 3 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद शिप्रा कॉलोनी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

-- -- प्रार्थी

--:: बनाम ::--

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

-- -- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

--:: उपस्थिति ::--

1.	श्री हरिश कुमार सोनी	-- -- प्रार्थी
2.	पैरोकार राज	-- -- अप्रार्थी

-- :: निर्णय ::-- दिनांक :--28.02.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 5 एम एल पटवार हल्का नेतेवाला तहसील गंगानगर के खाता स० 0/29 के मु०न० 44 की 1.252 हेक्टर में 155/313 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम आत्माराम पुत्र जीवनराम दर्ज है तथा इसी चक के खाता स० 9/104 के मु0न0 40 की .4430 हेकटर में प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है, चक 17 एस टी बी पटवार हल्का ...र तहसील सूरतगढ के 177/142 के मु0न0 51 की 1.9150 हेकटर में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इन दोनो खातो की जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम आतराम पुत्र जीवनराम दर्ज है जमाबंदियों की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थपत्र है। प्रार्थी का नाम आतराम है और गांव में व शहर में भी आतराम के नाम से जाना जाता है प्रार्थी के आधार कार्ड, वोटर कार्ड परिवार राशन कार्ड व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पहचानपत्र में प्रार्थी का नाम आतराम है, जबकि जमाबंदी चक 5 एम एल के मु0न0 44 में प्रार्थी के नाम की गलती है इस गलती को शुद्ध करवाने का प्रार्थी अधिकारी है इसलिए जमाबंदी में भी प्रार्थी के नाम की गलती को शुद्ध कर आत्माराम के स्थान पर आतराम दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज नाम व आधार कार्ड, वोटर कार्ड व अन्य दस्तावेजा में दर्ज नाम से मिलान नही होता है जिसके कारण प्रार्थी को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अडचने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी प्रार्थी वंचित हो रहा है। आत्माराम व आतराम दो अलग अलग व्यक्ति नही है बल्कि एक ही व्यक्ति (प्रार्थी) के दो नाम है चूंकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज आतराम के नाम से है परन्तु जमाबंदी में आत्माराम दर्ज होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है जबकि शेष जमाबंदिया में सही है इसलिए प्रार्थी जमाबंदी में अपना नाम आत्माराम के स्थान पर आतराम दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैंड से आया है इसलिए प्रार्थी उक्त दुरस्ती दर्ज करवाने का अधिकारी है। माननीय न्यायालय को भू अभिलेख में दर्ज त्रुटियॉ को दुरस्त करने का अधिकार है प्रार्थी का प्रार्थनापत्र नाम की गलती को शुद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया

...(राजस्व) ...गंगानगर

Scanned with CamScanner

या है। प्रार्थी ने दिनांक 7.4.2022 को अप्रार्थी से निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम जमाबंदी दुरस्त कर 'आत्माराम के स्थान पर 'आतराम' किया जावे तो अप्रार्थी ने कहा कि इसके ए आपको श्रीमान के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना होगा, यह वाद कारण है। अप्रार्थी ण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के ाधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर अवधि उचित कोर्ट फीस पर पेश किया जा हा है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 5 एम एल पटवार हल्का नेतेवाला हसील गंगानगर के खाता स० 10/29 के मु0न0 44 की 1.252 हेक्टर में 155/313 स्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम आत्माराम पुत्र जीवनराम के नाम से दर्ज है की प्रविष्टि दुरस्त कर उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम 'आतराम पुत्र जीवनराम' दर्ज किया जावे

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) गंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा पोर्ट पेश की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार आत्माराम व आतराम एक ही व्यक्ति है।

–:: आदेश ::–

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख ा अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ाम का नाम 5 एमएल, पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि.क्षे. नेतेवाला खाता संख्या 10/29, मावंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम का नाम 5 एमएल, पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि.क्षे. तेवाला खाता संख्या 9/104, ,प्रार्थी के भाई रामस्वरूप पुत्र जीवन राम का शपथ पत्र, ार्थी आत राम का आधार कार्ड की प्रति, निर्वाचन पहचान पत्र की प्रति, परिवार राशन कार्ड ी प्रति पेश की। तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् हसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये ाने पर प्रार्थी द्वारा प्ररतुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 5 एम एल पटवार हल्का तेवाला तहसील गंगानगर के खाता स० 10/29 के मु0न0 44 की 1.252 हेक्टर में 55/313 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम आत्माराम पुत्र जीवनराम के नाम को दुरस्त र उसके स्थान पर आतराम पुत्र जीवनराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित मि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया ावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी कार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल ो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में ुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner